



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



15 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 518 राँची, मंगलवार,

6 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

19 जुलाई, 2024

आदेश सं०-5/आरोप-1-110/2018 का०- 4745--श्री सत्यम कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लेस्लीगंज, पलामू/गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1202, दिनांक 08.08.2018 एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1864, दिनांक 16.05.2019 द्वारा दो आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा ग्राम स्वराज अभियान-II इत्यादि में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता तथा जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करने, डॉ० रविन्द्र राय, माननीय सांसद के सांसद प्रतिनिधि एवं महिला कर्मों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-2927(HRMS), दिनांक 24.12.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं०-2362 (HRMS), दिनांक 28.05.2019 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

3. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6936(HRMS), दिनांक 17.07.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-247, दिनांक 02.06.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप पत्र में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-6948, दिनांक 04.07.2022 द्वारा श्री कुमार को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया गया।

5. श्री कुमार द्वारा विभाग में आवेदन समर्पित कर निलंबन अवधि को विनियमन हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्री सत्यम कुमार द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत उनके निलंबन अवधि दिनांक 24.12.2018 से 27.05.2019 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
